"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 मई 2013—वैशाख 26, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2013/410.—छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 73 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्र. S0-41) महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 18 में, शब्द तथा अंक "रुपये 2500/-" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 10000/-" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 39 में, शब्द तथा अंक "रुपये 1500/-" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द तथा अंक "रुपये 5000/-" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक बरवड़े, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2013/411.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2013/410, दिनांक 16-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक बरवड़े, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th May 2013

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2013/410.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayats (Accounts) Rules, 1999, which the State Government Proposes to make in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (3) of Section 73 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for information of all persons lilely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objections or suggesion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Panchayat & Rural Development, (Room No. S0-41), Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capital Complex, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 18, for the word and figure "Rs. 2500/-" the word and figure "Rupees 10000/-" shall be substituted.

2. In rule 39, for the word and figure "Rs. 1500/-" the wherever they occurs the word and figure "Rupees 5000/-" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MAYANK BARWADE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.